(3)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1399 / 2015 / 10706 दिनांकः 31.8.2015

I-S-

श्री गजराज शरण गुप्ता,
म0 न0 1 / 10861, गली नं0 4,
सुभाष पार्क, शाहदरा,
दिल्ली–110032.

उप निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0पू0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री गजराज शरण गुप्ता के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 23–07–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 27.08.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री गजराज शरण गुप्ता उपस्थित हुए एवं श्री राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, शाहदरा, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 20.05.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 23.07.2015 को दायर की । अपीलकर्ता के अनुसार गलत जानकारी प्रदान की गई ।

आर0 टी0 आई0 के जवाब का अवलोकन करने से साफ जाहिर होता है कि जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है ।

अपीलकर्ता के अनुसार पूर्व क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, शाहदरा, ने उन्हें कई साल तक परेशान किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ! अपीलकर्ता को बताया गया कि पूर्व क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, शाहदरा, रिटायर हो चुके हैं । अपीलकर्ता को यह सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में वे राजस्व विभाग

4538
02/09/15

AE-I

Rahul

Sh. Sanjay Programmer

व सतर्कता विभाग में उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अलग से प्रार्थनापत्र दें जिसके साथ सभी दस्तावेज व प्रमाण (साक्ष्य) इत्यादि संलग्न करें ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0
अमित सतीजा
प्रथम सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

13. श्री गजराज शरण गुप्ता, म0 न0 1/10861, गली नं0 4, सुभाष पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032.
14. उप निदेशक (राजस्व) उ0/उ0पू0
15. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)–I, शाहदरा ।
16. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

31/8/15

प्रथम सूचना अधिकारी